



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

www.cghb.gov.in

संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र- 5, सेजबहार, रायपुर

आवेदन
आमंत्रित
15-12-2016
तक

विक्रय हेतु उपलब्ध आवासीय भवन

टोल फ्री
नम्बर
1800 200 6313

क्र.	स्थान/कॉलोनी का नाम	उपलब्ध भवनों/फ्लैटों के प्रकार	रिक्त सम्पत्ति	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	भवनों/ फ्लैटों का स्थिर मूल्य (लाख में)	पंजीयन/ धरोहर राशि (लाख में)
अटल विहार योजना, (एकमुश्त योजना में प्रथम आओ-प्रथम पाओ)							
1	आरंग	एच.आई.जी. टाईप-II	1	2517.84	1239.00	30.10	3.00
		सिनियर एम.आई.जी. टाईप-I	5	2041.71	1423.87	27.70	2.77
		एल.आई.जी. फ्लैट्स, भूतल	16	-	557.07	8.10	0.50
		एल.आई.जी. फ्लैट्स, प्रथम तल	24	-	557.07	7.75	0.50
		एल.आई.जी. फ्लैट्स, द्वितीय तल	24	-	557.07	7.50	0.50
		एल.आई.जी. फ्लैट्स, तृतीय तल	24	-	557.07	7.25	0.50
		ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट्स, जी+3	2	-	402.85	3.55	0.25
अटल आवास योजना, (एकमुश्त योजना में प्रथम आओ-प्रथम पाओ)							
2	आरंग	अटल आवास	139	560.00	280.00	2.45	0.25
दीनदयाल आवास योजना, (एकमुश्त योजना में प्रथम आओ-प्रथम पाओ)							
3	गातापार, अभनपुर	एल.आई.जी.	2	1702.33	425.00	17.17	0.50
दीनदयाल आवास योजना, (ऑफर जहां है - जैसा है आधार पर)							
4	सेजबहार, रायपुर	एल.आई.जी.	5	899.75	425.98	12.87	0.50

नियम एवं शर्तें:- 1.पंजीयन/धरोहर राशि बैंकर्स चेक, पे-आर्डर, डिमांड ड्राफ्ट द्वारा संपदा अधिकारी, छ.ग.गृह निर्माण मंडल संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-5, सेजबहार रायपुर के नाम पर देय होगा। 2. उपरोक्त 1 से 3 के भवन/फ्लैट्स का आवंटन लॉटर नहीं स्वेच्छा से "प्रथम आओ-प्रथम पाओ" आधार पर किया जाएगा। 3. ई.डब्ल्यू.एस. के लिए वार्षिक आय रु. 3.00 लाख एवं एल.आई.जी. हेतु वार्षिक आय रु. 3.00 लाख से रु. 6.00 लाख तक होनी चाहिए तथा हितग्राहियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है। 4. यदि पंजीयनकर्ता आर्बिट्रल भवन/फ्लैट्स को स्वीकार नहीं करता है, तो पंजीयन राशि में से भवन मूल्य की 1.5 प्रतिशत राशि कटौती पश्चात् शेष पंजीयन राशि वापस की जायेगी। 5. उक्त क्रमांक-4 के भवनों के लिए ऑफसेट मूल्य से उपर ऑफर आधार पर आवेदन प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3.00 बजे तक प्राप्त कर उसी दिन 4.00 बजे खोले जायेंगे। ऑफर स्वीकृति के 60 दिवस के भीतर शेष राशि जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। 6. अन्य नियम एवं शर्तों की जानकारी हेतु संभाग क्रमांक- 4 रायपुर, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-5, सेजबहार रायपुर एवं सूचना केन्द्र, शंकर नगर रायपुर/पर्यावास भवन नया रायपुर में सम्पर्क करें।

संपर्क सूत्र कार्यालय फोन नं.- 0771-, 2971574, मो.नं.- 9425209838, मकान नहीं घर बनाते हैं
9425511438, 9926146493, 9907422343, 9425508837 पीढ़ी से पीढ़ियों का रिश्ता बुनते हैं